रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2019/वैशाख 11, 1941
No. 286] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2019/VAISAKHA 11, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2019

सा.का.नि. 343(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित, धारा 125 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11) तथा धारा 124 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्त्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्त्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2019 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्त्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 2 में, उपनियम (1) में, खण्ड (घ) में, "और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959(1959 का 38) की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथा-परिभाषित अनुषंगी बैंक" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षर और अंकों के स्थान पर, "भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित 'अनुषगी बैंक', जिसमें कोई अन्य अस्तित्व जिसे विनिधानकर्त्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में इसे शासित करने वाले कानून के किसी अधिनियम के अनुसार किसी निधि का अंतरण करना अपेक्षित हो," शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के, नियम 3 में, उपनियम 2 के खण्ड (छ) में, "बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10ख", शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात् "भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38क की उपधारा (3)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 05/01/2019-आईईपीएफ]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में तारीख 5 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 854(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् तारीख 28 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ), तारीख 13 अक्टूर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1267(अ) और तारीख 22 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 472(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2019

G.S.R. 343(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124, read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule(1), in clause (d), for the words, brackets, letter and figures "and 'subsidiary bank' as defined in clause (k) of section 2 of State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959 (38 of 1959)", the words, figures, brackets and letter ", State Bank of India constituted under section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), ' subsidiary bank' as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959 (38 of 1959) and includes any other entity which is required to transfer any fund to Investor Education and Protection Fund in accordance with any Act or statute governing it" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (2) in clause (g), after the words, figures, letter and brackets "section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980", the words, figures, letter, and brackets ", sub-section (3) of section 38A of the State Bank of India Act, 1955" shall be inserted.

[F. No. 05/01/2019-IEPF]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 854(E), dated the 5th September, 2016 and amended *vide* notification number G.S.R 178(E) dated 28th February, 2017, G.S.R. 1267(E) dated 13th October, 2017 and G.S.R. 472(E) dated 22nd May, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.05.01 21:51:53 +05'30'